भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3482
उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026
19 श्रावण, 1948 (शक)

खेल क्षेत्र में रोज़गार और उद्यमिता

3482. श्रीमती रचना बनर्जी :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में खेल क्षेत्र के माध्यम से युवाओं में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोचों, प्रशिक्षकों, खेल प्रबंधकों और फिटनेस पेशेवरों के लिए कोई कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) खेल से संबंधित रोजगार सृजित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार देशभर में खेलों के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- भारत सरकार की 'खेल कोटा नीति' के अनुसार, समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' में सीधी भर्ती रिक्तियों का 5% उत्कृष्ट एथलीटों के लिए आरक्षित है। खेल कोटा के अंतर्गत आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 03.10.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/01/2013-स्था.(डी) (इसके बाद दिनांक 18.11.2022 और 04.03.2024

के कार्यालय ज्ञापन द्वारा समेकित) के माध्यम से जारी समेकित अनुदेशों द्वारा शासित होता है।

- खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत, देशभर के खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) में 992 पूर्व चैंपियन एथलीटों को कोचिंग के लिए तैनात किया गया है, जिन्हें 25,000/- रु. प्रति माह का निश्चित मानदेय दिया जाता है।

- भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में कोचिंग संवर्ग के लिए कुल 1524 पद स्वीकृत हैं। सहायक कोच ग्रेड (लेवल-6) में 774 पदों में से प्रवेश संवर्ग में 5% पद ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए और 1% पद पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए आरक्षित हैं तथा कोच ग्रेड (लेवल-10) में 400 पदों में से 3% पद पदक विजेता ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए और 2% पद पदक विजेता पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) और (ग) : इस विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों जैसे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), ग्वालियर; राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (एनएसयू), इंफाल; नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस), पटियाला तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय (एलएनसीपीई), तिरुवनंतपुरम के माध्यम से खेल डिप्लोमा और प्रमाणन पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिसंघों द्वारा संचालित विभिन्न खेल-विशिष्ट प्रमाणन पाठ्यक्रमों के लिए कोचों को नामित किया जाता है।

(घ) खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत खेल अकादमियों के प्रत्यायन के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। देशभर में कुल 364 खेलो इंडिया प्रत्यायित अकादमियां हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) ने कर प्रोत्साहनों, नीतिगत सहयोग तथा प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों के साथ खेल अवसंरचना, एथलीट विकास और उच्च प्रदर्शन केंद्रों के लिए औपचारिक भागीदारी के माध्यम से कॉरपोरेट और व्यक्तियों से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अंशदान जुटाकर निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुदृढ़ किया है।
